27-3-18

27/3/18 - पत्रावली पेश हुई वतनी एक अपील वकील ने नोटिस भरकर पेश किया। जारी होकर दिनांक 15/5/18 को पेश हो।

नोटिफाई
24/12-13
9/4/18

14/6/18 पत्रावली आज दिनांक को न्यायालय आपके द्वारा समक्ष लामडिपाठा में प्रस्तुत हुई पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार जमवारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार भूमादिक रिकार्ड के खसरा नं. 78/1, 78/2, 78/3 खसरा 03 रास्ते के लावारा है इसलिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 257 A R.T. Act को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के बाद दर्ज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ